संख्या-9/2019 635/81-4-2019-116/2015

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 30 जुलाई, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष-2019-20 में "मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना" योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू० 19.54 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-33/36-टी-77 दिनांक 09 जुलाई, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत "मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना" योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू० 19.54 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखाशीर्षो के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्ष	धनराशि (रू0 लाख में)
अनुदान संख्या60-	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव -	
110-वन्यजीव-	
13 - मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना-	
24-वृहत निर्माण कार्य -	19.54
" योग:-	19.54

(रू0 उन्नीस लाख चौवन हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं

वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- अनुदान/भारित विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियॉ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय तथा ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

3- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहें।

4- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

5- योजना के अन्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, नए कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च् विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

6- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष का होगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

7- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक/डाक घर खाता /डिपाजिट खाता अथवा पी.एल.ए. में आदि में जमा नहीं किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब प्रस्तावित कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

10- स्वीकृत धनराशि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र

सं0-पी-33/36-टी-77 दिनांक 09 जुलाई, 2019 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 के पत्र संख्या-32/7-4(मयूर/मथुरा) दिनांक 08 जुलाई, 2019 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय।

11- स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सम्परिक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किया जाय एवं शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

12- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

13- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 तथा समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं समस्त औपचारिकताएं तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- समस्त औपचारिकताएं तथा वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय सक्षम स्तर का नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा ।

15- प्रश्रगत योजनान्तर्गत/कार्य के अन्तर्गत हुई प्रगति/व्यय की सूचना/विवरण एवं नवीनतम् चित्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए इसे विभागीय वेबसाइट पर एक अतिरिक्त बिन्दु के रूप मे इंगित किया जाय तथा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

16- योजनान्तर्गत कार्यो हेतु समय-समय पर निर्गत ई-टेण्डरिंग विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं क्रय संबंधी समस्त कार्य नियमानुसार जी0इ0एम0 पोर्टल् के माध्यम से ही किया जाय।

17- व्यय के निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति पर प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 दिनांक में निहित निर्देशों/प्रतिबंधो के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं अत: इनका अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव।

संख्या- 635(1)/81-4-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।

4 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

7- नियोजन अनुभाग-3।

8- गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा0 दीपक कोहली)
उप सचिव।